न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थीया	ब ना म	अप्रार्थीगण
शान्तिदेवी कुमावत पत्नी मांगीलाल कुमावत निवासी श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी		मदनलाल पुत्र मोहनराम जाति कुमावत निवासी श्रवणपुरा वगैरह तह. कुचामन

राजस्व प्रार्थना पत्र = बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955

राजस्व प्रार्थना–पत्र नम्बर 62 **/2022** **GCMS No.2022/** 122

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
18/4/2022	वकील प्रार्थी द्वारा यह राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी वकील के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनॉक 18.05.2022 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम श्रवणपुरा पटवार मण्डल उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 421 रकबा 1.37 हैक्टर की भूमि में प्रार्थीया के हक हिस्से की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 दखलंदाजी नही करे तथा प्रार्थीया के हिस्से की भूमि का अप्रार्थी सं. 1 किसी प्रकार से बेचान बक्शीश या हस्तानान्तरण नही करें व मौका स्थिति में परिवर्तन नही करे अप्रार्थी सं. 6 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनॉक 18.05.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
10/5/2022	वकील प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। लोक अदालत की भावना के प्रकाशपत्र के मद्दे राजीनामा हो गया है इसलिए प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहती। अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र जरिये विड्राल खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र प्रार्थीना स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीना जरिये विड्राल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा लेखा नम्बर है व्यय लेखा अधिक सम्बर हो।	मदनलाल शान्ति कुमावत Id Rshekam